

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-03/निदे०छात्रा०(बालिका)205-02/2025-288

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी भा०प्र०से०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-16/01/2026

विषय-राज्य स्कीम मद से "मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति बालिका छात्रावास योजना" अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला में 100 आसन वाले सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार कुल ₹4,90,62,000/- (चार करोड़ नब्बे लाख बासठ हजार रु०) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-214 दिनांक-29.01.2025 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति बालिका छात्रावास योजना" अन्तर्गत पूर्णियाँ जिला में 100 आसन वाले सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तदालोक में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक-1989 दिनांक-03.09.2025 के साथ संलग्न जिला राजस्व शाखा, पूर्णियाँ का ज्ञापक-4785 दिनांक-22.08.2025 द्वारा प्रखण्ड-सह-अचल पूर्णियाँ, मौजा-मधुबनी, थाना नं०-123/1, खाता संख्या-1443, खेसरा संख्या-2377 एवं 4028, रकवा-01 एकड़ उपलब्ध कराई गई भूमि पर बालिका छात्रावास के निर्माण पर होने वाले व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3- अनुसूचित जाति के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-03 मुख्य बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-अनुसूचित जाति के भवन-विषय शीर्ष-0101-5301 मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-03-4059017890101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4- योजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा एवं इस राशि के व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

5- वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17/4/1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

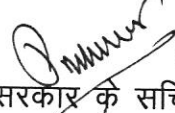
6- वित्त विभाग का संकल्प सं०-12888 दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7- इस प्रस्ताव पर संचिका सं०-03/निदे०छात्रा०(बालिका)205-02/2025 के पृ०-...../टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-03/निदे0छात्रा0(बालिका)205-02/2025 - 288

पटना, दिनांक-16/01/2026

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/उप निदेशक कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।